राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः प.1(6)प्र.सु./अनु.–3/2017 जयपुर, दिनांकः 28 AUG 2018

विभागाध्यक्ष,
सभी संबंधित
राजस्थान।

विषय :– लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के चयनित एवं आपको आवंटित अभ्यर्थियों को गृह जिले/किसी परिस्थिति के कारण इच्छित जिले में परिवर्तन किये जाने हेतु प्राथमिकता से निस्तारित करवाये जाने हेतु ।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के चयनित संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा इस आश्य का अंकन कर आवंटित किया गया था कि आप आवंटित अभ्यर्थी को उनके गृह जिले अथवा निकटवर्ती जिले में पदस्थापित करेंगे। लेकिन पत्र में अंकित निर्देशों के उपरान्त भी पदस्थापन दूरस्थ जिलों में कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्मिकों को अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 10.02.2018 को एक पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। गठित समिति द्वारा अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न जिलों में कार्यभार ग्रहण कर चुके कार्मिकों से ऑनलाइन परिवेदना डाउनलोड करने हेतु विभागीय वैबसाइट पर लिंक डाला गया।

विभागीय वैबसाइट पर प्राप्त परिवेदनाओं पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। तदनुसार आपके विभाग में कार्यग्रहण कर चुके संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को उनके गृह जिले/किसी परिस्थिति के कारण इच्छित जिले में परिवर्तन किये जाने हेतु प्राथमिकता से निस्तारित करवाये जाने हेतु उनकी परिवेदनाऐं भिजवाई जा रही हैं।

साथ ही समुचित कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित कराते हुए इस विभाग को भी सूचित कराने का श्रम करें, ताकि उक्त परिवर्तन की अनुपालना की सूचना उच्च स्तर पर भिजवाया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नः सूची

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है :–</u>

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. वरि.उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
6. रक्षित पत्रावली।

28/8

(डॉ. प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव